



**Prof. (Dr.) Tribhuwan Sharma**  
**DEAN**

No.F8 ( )/Dean/NVU/Tender/RAJUVAS/2019-20/ 204

Date: 23-9-2019

मैसर्स.....  
.....  
.....

महोदय,

पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, वल्लभनगर के एन.सी.सी. यूनिट हेतु निम्न नास्ते की दरों की निविदा आमन्त्रित की जाती है, जिसकी अनुमानित मात्रा व विवरण निम्न प्रकार है। आप नास्ते की दरें देने के इच्छुक हैं तो अपनी दर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 01.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक भेजने का कष्ट करें। निर्धारित दिनांक के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की तिथि एवं वस्तु की मात्रा घटाने या बढ़ाने का व बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। सप्लाई सन्तोषप्रद नहीं होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं भुगतान रोका जा सकता है। यह दर दिनांक 31.03.2020 तक या रुपया 200000/- दो लाख जो भी पहले होगा वह मान्य रहेगी।

इस स्टेशन पर एन.सी.सी. यूनिट में नास्ता देने हेतु निम्न खाद्य वस्तुओं की दरें आमन्त्रित की जाती हैं।

1. कचोरी प्रति नग .....
2. समोसा प्रति नग .....
3. मीची वड़ा प्रति नग .....
4. आलु वड़ा प्रति नग .....
5. छाछ प्रति गिलास 100 मी.ली. ....
6. लस्सी प्रति गिलास 100 मी.ली. ....
7. चाय स्टर्डर्ड कप .....
8. कॉफी स्टर्डर्ड कप .....
9. गुलाब जामुन प्रति नग .....
10. किमरोल प्रति नग .....
11. बिस्किट प्रति पेकेट .....
12. मावा बर्फी 100 ग्राम .....

नोट:-

1. खाद्य सामग्री अच्छी किस्म की उपयोग में लेनी होगी।
2. खाद्य सामग्री की समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जा सकेगी।
3. नास्ता मीनू के अनुसार ही देना होगा।
4. दरें अनुमोदन करने हेतु विभाग बाध्य नहीं है।
5. खाद्य सामग्री कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर FOR देना होगा।
6. दरें सही नहीं आने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
7. अगर खाद्य सामग्री में कुछ अनियमितताएं पायी जाने पर नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. निविदा खोलने की दिनांक को अगर कोई अवकाश पड़ता है तो निविदा दूसरे दिन कार्यदिवस को खोली जावेगी।
9. निविदा सम्बंधित कोई विवाद होता है तो निम्नहस्ताक्षरकर्ता/निविदा कमेटी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
10. भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल पर ही कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

अधिष्ठाता

23.9.19